छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा षोडश सत्र अंक-08

रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 मार्च, 2023

(फाल्गुन 24, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- हम सब के लिए यह एक अत्यंत दुखद समाचार है कि माननीय मंत्री, आवास एवं पर्यावरण, मोहम्मद अकबर जी की माताश्री नहीं रहीं। उनकी माताजी हज्जन फैमुन-निशा का कल रात में ही देहावसान हो गया ।

मैं अपनी ओर से एवं सदन की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं ।

श्री मोहन मरकाम, सदस्य ने भी संवेदना व्यक्त की।

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16 (कुल 13) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या क्रमशः 07, 13, 15 एवं 17 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः श्री बृजमोहन अग्रवाल, डॉ. प्रीतमराम, श्री राजमन बेंजाम एवं श्री दलेश्वर साहू, अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 49 तारांकित एवं 77 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्न संख्या 04 पर चर्चा के मध्य सर्वश्री शिवरतन शर्मा, धरमलाल कौशिक एवं अन्य प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा कथन किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं द्वारा आज अपराह्न आयोजित विधानसभा घेराव-प्रदर्शन के दृष्टिगत पुलिस द्वारा विधायकों को विधान सभा आने से रोका जा रहा है । इस बाबत् आसंदी से निर्देशित करने का आग्रह किया गया ।

माननीय अध्यक्ष ने शासन को निर्देशित किया कि विधायकों को यहां विधानसभा आने से रोका जा रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो संसदीय कार्य मंत्री जी, आप अधिकारियों को बाहर निर्देशित करवा दीजिए । गृह मंत्री जी अभी आये हैं, मैं उनको पुनः निर्देशित करता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी, आप जरा अपने अधिकारियों से जानकारी ले लें । किसी भी तरह से किसी भी विधायक को विधान सभा में अपने कर्त्तव्य पालन के लिए आने से रोका नहीं जा सकता। आप उनको निर्देशित कर दीजिए । यदि अधिकारी ऐसा कर रहे हैं तो वे गलत कर रहे हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की तथा सदन को अवगत कराया कि किसी विधायक को आने-जाने से रोका नहीं गया । विधानसभा की सुरक्षा के लिए हमेशा व्यवस्था होती है ।

श्री ताम्रध्वज साहू, गृहमंत्री ने कथन किया कि जब विधान सभा सत्र आहूत होता है तो सामान्य नियम और निर्देश हैं कि विधायकों को किसी भी प्रकार से रोका न जाए । उनको यहां आने की पूरी सुविधा दी जाती है । यहां तक कि यदि गाड़ियां रूकी हैं या ट्रैफिक जा रहा है तो उनको रोककर विधायकों को विधान सभा पहुंचने की व्यवस्था है। आज की स्थिति में यदि बैरिकेट्स में रोका जा रहा होगा तो वह कौन है, इसको देखने के लिए एक सेकण्ड भले रोकेंगे, पर विधायकों को विधान सभा आने से किसी भी प्रकार की रोक नहीं है । फिर भी मैं और निर्देश करवा देता हूं कि विधायकों को न रोका जाएं।

(तारांकित प्रश्न संख्या 16 पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष ने माननीय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री को निर्देशित किया कि ग्राम-सुपेबेड़ा बहुत संवेदनशील गांव भी है, इसके बारे में देश में चर्चा हुई है । यहां जो पानी का काम है, उसको आप विभाग से व्यक्तिगत रूप से देखें और इसे जल्दी से जल्दी करायें ।)

3. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 16 पर चर्चा के दौरान श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में बहिर्गमन किया गया ।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 11 उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 27/14/वित्त/विआप्र/चार/2021, दिनांक 23 मार्च, 2022,

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 8-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा अंकेक्षित स्थानीय नगरीय निकायों, पंचायत राज संस्थाओं, अनुदान प्राप्त एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022, तथा

(3) श्रीमती अनिला भेंड़िया, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2006) की धारा 36 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2009 के नियम 20 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022,

पटल पर रखे।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

5. पृच्छा

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, धरमलाल कौशिक, अजय चन्द्राकर, सदस्य, श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि उन्होंने शून्यकाल में सबकी बातें सुनी विचारोपरांत प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.17 बजे स्थगित की जाकर 12.23 बजे, समवेत हुई।)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने विधानसभा घेराव के दौरान विधायकों को विधान सभा आने में हो रही परेशानी का उल्लेख किया ।

6. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने प्रदेश में कोविड काल के दौरान दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दिये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री रामकुमार यादव, सदस्य ने जल संसाधन विभाग द्वारा सक्षम अधिकारी कलेक्टर सक्ती एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री रविन्द्र चौबे, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री अजय चन्द्राकर
(2) श्री सौरभ सिंह

8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री आशीष कुमार छाबड़ा, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति ने समिति का तेरहवां एवं चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

9. वर्ष 2023-2024 की अनुदान मांगों पर मतदान

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या 24, लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित मांग संख्या 67, लोक निर्माण विभाग से

संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 76, पुलिस विभाग से संबंधित मांग संख्या 3, गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय से संबंधित मांग संख्या 4, जेल विभाग से संबंधित मांग संख्या 5, धार्मिक न्यास और धर्मस्व से संबंधित मांग संख्या 51 एवं पर्यटन विभाग से संबंधित मांग संख्या 37 प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-24 पर सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, अजय चंद्राकर, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्रीमती इन्दू बंजारे, सर्वश्री डमरूधर पुजारी, **मांग संख्या-67** पर सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, केशव प्रसाद चन्द्रा, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्रीमती इन्दू बंजारे, श्री डमरूधर पुजारी, **मांग संख्या-76** पर सर्वश्री अजय चंद्राकर, **मांग संख्या-3** पर सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, अजय चंद्राकर, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, केशव प्रसाद चन्द्रा, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्रीमती इन्दू बंजारे, **मांग संख्या-4** पर सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, **मांग संख्या-5** पर सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, **मांग संख्या-51** पर सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, **मांग संख्या-37** पर सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री शैलेष पाण्डेय, अजय चन्द्राकर,

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अरूण वोरा, शिवरतन शर्मा, धर्मजीत सिंह,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

डॉ.लक्ष्मी ध्रुव, श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा, श्री प्रमोद कुमार शर्मा, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती इन्दू बंजारे, सर्वश्री आशीष कुमार छाबड़ा, रामकुमार यादव, केशव प्रसाद चन्द्रा, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े,

श्री ताम्रध्वज साहू, गृहमंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया ।

10. पृच्छा

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने कथन किया कि विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनरत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज एवं अश्रुगैस के गोले छोड़े गये तथा पुलिस द्वारा माननीय सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल, को गिरफ्तार किये जाने का भी उल्लेख किया तथा आसंदी से अनुरोध किया कि इस संबंध में गृह मंत्री जी का बयान आना चाहिए ।

माननीय उपाध्यक्ष ने माननीय गृहमंत्री को इस संबंध में बयान देने हेतु निर्देशित किया।

11. वर्ष 2023-2024 की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमश:)

श्री ताम्रध्वज साहू, गृहमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. वक्तव्य

श्री ताम्रध्वज साहू, गृहमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित विधान सभा घेराव के दौरान पुलिस द्वारा लाठचार्ज, अश्रुगैस छोड़े जाने तथा गिरफ्तारी के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए वक्तव्य दिया ।

सायं 6.33 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 16 मार्च, 2023 (फाल्गुन 25, शक संवत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा